संख्याः 715 /पांच–1–2021–5(12)/2014टी0सी0

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
स्टेट हेल्थ एजेन्सी (साचीज)
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांकः23 जुलाई, 2021

विषयः–अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाज के गरीब एवं वंचित परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितम्बर–2018 से संचालित की जा रही है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1366/पांच–1–2018–5(19)/2018, दिनांक 13.09.2018 एवं शासनादेश संख्या–1555/पांच–1–2018–5(19)/2018, दिनांक 20.12.2018 अवलोकनीय है। इस योजना से उ0प्र0 के 1.18 करोड़ परिवार आच्छादित हैं जिनका चिन्हांकन एस0ई0सी0सी0–2011 डाटा बेस के आधार पर किया गया है। एस0ई0सी0सी0–2011 में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर जो परिवार पात्र होते हुए भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने से वंचित रह गये थे, उन्हें चिन्हित करते हुए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित किया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–285/पांच–1–2019–5(19)/2018टी0सी0–III, दिनांक 20.02.2019 एवं शासनादेश संख्या–1669/पांच–1–2019–5(12)/2014टी0सी0, दिनांक 28.11.2019 अवलोकनीय है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 8.43 लाख परिवार वर्तमान में सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में अधिकांश अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार उक्त दोनों योजनाओं में से किसी से भी आच्छादित नहीं हैं।

2– इस सम्बन्ध में आपके पत्रांकः ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0/पत्रा–431–बी/2021/352 दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भांति प्रतिवर्ष प्रति परिवार रू0 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है। उत्तर प्रदेश में कुल 40,78,721 अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की पात्रता सूची में सम्मिलित हैं। इन परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने हेतु खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों के डाटा का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में पूर्व से शामिल परिवारों के डाटा से मिलान करने (डि–डुप्लीकेशन) के उपरान्त ऐसे परिवारों की सूची पृथक कर ली जायेगी जो पूर्व से ही उक्त योजनाओं में से किसी भी योजना में सम्मिलित हैं। शेष अन्त्योदय परिवारों का डाटा (यूनिक डाटा) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। राष्ट्रीय

Scanned by CamScanner

स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इस यूनिक डाटा को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के डाटा के साथ बेनिफिशियरी आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेट कर दिया जायेगा, जिससे इन परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाना सम्भव हो सके।

3— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार राज्य में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एन0एफ0एस0ए0) की पात्रता सूची में सम्मिलित कुल 40,78,721 अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा—निर्देशों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए योजना की प्रगति से शासन को समय—समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

23.7.21

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचि

संख्याः 715 (1)/पांच—1—2021—5(12)/2014टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3— अपर मुख्य सचिव/खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0 शासन।
5— अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6— अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
7— अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8— प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
9— प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10— समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11— मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
12— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
13— महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
14— अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
15— वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
16— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
17— समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
18— समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
19— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner